समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प राजस्व मण्डल

जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.

रा.अपील कमांक– I/विविध/कटनी/भू.रा/2018/2519

राजकुमारी बेवा स्व. स्वर्गीय श्री आदित्य कुमार तिवारी उम्र लग. साल निवासी ग्राम बरही तहसील बरही जिला कटनी म.प्र.

..........अपीलार्थी

बनाम

1. प्रीति रैदास पत्नी रामू चौधरी
निवासी वार्ड कमांक 4 बरही तहसील बरही जिला कटनी म0प्र0
2. परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बडवारा तहसील बडवारा जिला कटनी म.प्र.
3. म0प्र0 शासन
द्वारा– जिलाध्यक्ष कटनी जिला कटनी म0प्र0

........प्रत्यर्थीगण

द्वितीय अपील अतंर्गत धारा 91 म0प्र0पंचायत राज अधिनियम एवं सहपठित धारा 6 स, आंगन बांडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एंव नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश के संबंध में

माननीय न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर अपील प्रकरण कमांक 179 बी/121/15–16 राजकुमारी विरूद्ध प्रीतिम रैदास वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 से व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर अपीलार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है, अपील में आगें सुविधा की दृष्टि से न्यायालय माननीय अति. कमिश्नर महोदय संभाग जबलपुर के न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय एवं उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 को आलोच्य आदेश से संबोधित किया जावेगा।

//प्रकरण के तथ्य//

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है–

MXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/विविध/कटनी/भू0रा0/2018/2519

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/8/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को वापिस लिए जाने के बिंदु पर विचार किया गया । विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है । प्रकरण आवेदक को वापिस किया जाये । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	